

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिलापदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)में 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार पति/पिता का नाम, उम्र, का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का ब्यौर, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० राजेश साह, 30, श्री नारायण साह, सामान्य	श्रीमती गुड़िया देवी(पत्नी)	20/12.01.19	ग्रा०-भदास उतरी नया टोला, पो०-दक्षिणी भदास, था०-मुफसिल, प्र०+जि०-खगड़िया	334765314 02	भारतीय स्टेट बैंक SBIN0015127	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, सॉर्टिंग मिस्त्री का कार्य
2	स्व० बेचन राम, 61, श्री गाडो राम, सामान्य	श्रीमती शांति देवी(पत्नी)	21/12.01.19	ग्रा०-चौधा बनीछ, पो०-बाबु बगीचा, था०-महेशखुंट, प्र०-गोगरी, खगड़िया	215301000 09502	बैंक ऑफ बड़ौदा BARBOBANNIX	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, चाय बेचने का काम मजदूर
3	स्व० राजेन्द्र पोद्दार, 60, श्री जागेश्वर पोद्दार, सामान्य	श्रीमती मंजू देवी(पत्नी)	22/12.01.19	ग्रा०-मुर्गियाचक, वार्ड 09, पो०+था०+प्र०+जि०-खगड़िया	536702010 012182	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBIN0553671	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का कार्य में मजदूर
4	स्व० फागो शर्मा, 49, श्री सहदेव शर्मा, सामान्य	श्रीमती चम्पा देवी(पत्नी)	24/12.01.19	ग्रा०+पो०-सैदपुर, था०+प्र०-मानसी, खगड़िया	352301100 43157	बिहार ग्रामीण बैंक, UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, फर्नीचर मजदूर

कुल :- ₹ 190000/-

(एक लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-20/2018 के पृष्ठ-22/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-20/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-20/2018-67


पटना, दिनांक :-18-02-19


प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित/ आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।